



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

ओम प्रकाश बैरवा
वित्त नियंत्रक

कमांक: एफ()/श्रीकनकृषिवि/वि.नि./काककोष/2020/798-801

दिनांक: 18.07.2020

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल की 14वीं बैठक दिनांक 25.06.2020 SKNAU/BOM-14/2020-1/19 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् कार्मिक कल्याण कोष योजना नियम एवं विनियम 2017 में संसोधन नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 3.00 लाख से बढ़ाकर 5.00 लाख किया जाता है।


वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
2. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कराएँ।
3. समस्त निदेशक / अधिष्ठाता / अतिरिक्त निदेशक (बीज) / प्रभारी अधिकारी / वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष/क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान/ प्रभारी अधिकारी/ कार्यक्रम समन्वयक/ विश्वविद्यालय पुस्तकालाध्यक्ष/
4. लेखा शाखा, वित्त नियंत्रक कार्यालय, श्रीकनकृषिवि
5. रक्षित पत्रावली।


वित्त नियंत्रक

dc